

ई-मेल

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
"निर्वाचन भवन"  
58-अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)-462011

\*\*\*\*\*

क्रमांक एफ-49-02/2009/तीन/1645

भोपाल, दिनांक 23/12/2009

प्रति,


कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
(स्थानीय निर्वाचन)  
जिला-समस्त  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन -आदर्श आचरण संहिता लागू करने के संबंध में मार्गदर्शन बावत् ।

संदर्भ:-आयोग का ज्ञापन क्रमांक एफ-37-07/09/तीन/1619 दिनांक 21/12/2009

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2009 की तिथियाँ आयोग द्वारा दिनांक 21/12/2009 को घोषित की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो दिनांक 25/01/2010 तक प्रभावशील रहेंगी ।

2/ यह स्पष्ट किया जाता है कि आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव सिर्फ उन ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित रहेगा जहाँ निर्वाचन सम्पन्न हो रहे हैं । जिन ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं हो रहे हैं वहाँ पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील नहीं होगी ।

  
(अनुपम राजन)  
सचिव

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527

भोपाल, दिनांक 23/12/2009

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-49-02/2009/तीन/1646  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश ।

  
सचिव

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

दूरभाष क्रमांक 0755-2555527